>

Title: Need to recognize Maharaja Ganga Singh University, Bikaner under the provision of section 12B of the University Grants Commission Act.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी को 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश की है तथा तद्पश्चात् इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी यूजीसी को सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है, लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विगत दिनों में राजस्थान की राज्यपाल का बीकानेर दौरा था तथा उच्च शिक्षा से जुड़े हुये सभी संस्थाओं एवं ख्यातिनाम शिक्षाविदों ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को यूजीसी द्वारा 12बी की मान्यता दिलवाने के संबंध में राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भू-भाग का हृदय स्थल है तथा जीईआर में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी इलाके का विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 12बी की शर्तें पूरी करता हो तथा प्रकरण सभी स्तरों से अभिशंषित होकर यूजीसी में लंबित हो तो मान्यता दिलवाने में प्राथमिकता से कार्य करने का दायित्व यूजीसी का बनता है। अतः मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग करता हूँ कि बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था करायें जिससे बीकानेर संभाग की सभी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।